

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- राय सिंह मोजावत, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, झालावाड़ एवं पत्नी श्रीमती अस्मिता सिंह, तहसीलदार झालरापाटन के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में झालावाड़, जयपुर, उदयपुर स्थित ठिकानों पर छापे
- वैध आय से करोड़ों रुपयों की अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 28 अप्रैल, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेंस इकाई द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर आज ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये रायसिंह मोजावत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, झालावाड़ अतिरिक्त प्रभार प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक, झालावाड़ एवं उसकी पत्नी श्रीमती अस्मिता सिंह तहसीलदार, झालरापाटन के झालावाड़, जयपुर एवं उदयपुर में स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा रायसिंह मोजावत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, झालावाड़ के विरुद्ध शिकायत का सत्यापन इन्टेलिजेंस शाखा एवं श्री भवानी शंकर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी झालावाड़ द्वारा किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस अधीक्षक, एसीबी कोटा श्री आलोक श्रीवास्तव के सुपरवीजन में एसीबी के अनुसंधान अधिकारी श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा के नेतृत्व में ब्यूरो की झालावाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां एवं उदयपुर की विभिन्न 11 टीमों का गठन किया जाकर आज अलसुबह उनके विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार रायसिंह मोजावत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, झालावाड़ एवं उसकी पत्नी श्रीमती अस्मिता सिंह तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा अनेक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से अधिक है। आरोपी उप रजिस्ट्रार एवं उनकी पत्नी द्वारा अपनी अवैध आय को झालावाड़, जयपुर एवं उदयपुर सहित विभिन्न शहरों में आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों/कृषि भूमि एवं स्वर्ण आभूषणों आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है। तलाशी में आरोपी अधिकारी के ठिकानों से 6 प्लॉट, जयपुर-झालावाड़-उदयपुर में तीन आवासीय मकान, झालावाड़ में फार्म हाउस, अमझार पैलेस (दर्दा जिला कोटा), कुंभलगढ़ में 6.25 बीघा जमीन सहित परिजनों एवं रिश्तेदारों के नाम कई बेनामी सम्पत्तियों के मूल दस्तावेज प्राप्त हुये हैं, जिनकी बाजार कीमत करोड़ों रुपयों में है। इसके अतिरिक्त 44 हजार रुपये नगद, 315 ग्राम सोने के आभूषण, बैंक जमा करीब 12 लाख रुपये तथा 2 बैंक लॉकर भी मिले हैं।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। बैंक लॉकरों की तलाशी में और अधिक परिसम्पत्तियों का पता चलने की संभावना है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।